



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2019/चैत्र 6, 1941

No. 214]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2019/CHAITRA 6, 1941

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

सा.का.नि. 241(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आशुलिपिक (श्रेणी-II) भर्ती नियम, 1999 और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आशुलिपिक (श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2000 में उन बातों के सिवाय जहां अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, में आशुलिपिक श्रेणी-I पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी-I (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;
या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-I	26* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनुसूचिवीय	स्तर 6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति: ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) सहित इस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

	<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक पद पर धारण कर रहे अधिकारी:</p> <p>(क) (I) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या</p> <p>(II) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-4 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्त ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <p>1. अपर महानिदेशक (प्रशासन) : अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>2. संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>3. निदेशक (प्रशासन) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>
<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति</p> <p>1. अपर महानिदेशक (प्रशासन) : अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>2. संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p> <p>3. निदेशक (प्रशासन) : सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</p>	

[फा. सं. 3-6/2017-आयोजना और एचआरडी (आरआर)]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2019

G.S.R. 241(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India, Stenographer (Grade-II) Recruitment Rules, 1999 and the Archaeological Survey of India (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Stenographer Grade-I (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation to this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade I	26*(2019) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Level-6 (Rs.35400-112400)

Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for promotees	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(11)
<p>Promotion: Stenographer Grade-II in Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee; (1) Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Joint Director General (Archaeology) Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member;</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India - Chairman; 2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India - Member; 3. Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member.</p>	<p>Consultation with UPSC not necessary</p>

[F. No. 3-6/2017-Plg & HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Administration)